26.11.2020

पत्रावली प्रार्थनापत्र 58–क पर आदेश हेतु प्रस्तुत की गई। प्रार्थनापत्र 58–क पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

प्रार्थनापत्र 58क का निस्तारण

यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 सपठित नियम 11 सी०पी०सी० अपीलकर्ता के वारिसान/ प्रार्थीगण की ओर से इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अपील में अपीलार्थी संख्या 2 गोवर्धन लाल की कोविड–19 के कारण दिनांक 28.06.2020 को मृत्यु हो गई है। मृतक ने अपने पीछे प्रार्थीगण जो कि उनकी पत्नी व दो पुत्रों को अपने विधिक उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ा है, जो कि मृतक की सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका मृतक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी संख्या 3 विष्णुदत्त जो कि अविवाहित थे, का देहान्त दिनांक 05.07.2020 को हो गया है। उक्त विष्णुदत्त के विधिक वारिसान के तौर पर अपीलार्थीगण सं० 2 व 3 जो कि स्व० विष्णुदत्त के नाती हैं , वे मृतक विष्णुदत्त के विधिक उत्तराधिकारी के तौर पर उनकी सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जिस पर प्रार्थी/ प्रत्यर्थी की ओर से 62–ग आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र कानूनन पोषणीय नहीं है। अगर वादी या अपीलांट की मृत्यु हो जाती है तो सी०पी०सी० के आदेश 22 नियम 3 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है। तथा अगर प्रतिवादी /रैस्पोडेंट की मृत्यु हो जाती है तो वारिस कायमी प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत कायम कराये जाते हैं। मृत्यु के सम्बंध में रैसजूडिकेटा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । प्रार्थनापत्र उचित प्रकार से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित भी नहीं है। प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रत्यर्थी ने अपनी आपत्ति में जो तथ्य उठाये हैं , वे सभी तकनीकी आधार पर हैं। क्योंकि अपीलार्थी संख्या 2 व 3 की मृत्यु हो चुकी है, अतः अपीलार्थी संख्या 2 के विधिक प्रतिनिधियों को अपील मीमो में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है और अपीलार्थी संख्या 3 के नाम के आगे मृतक लिखा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र 58–क स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थनापत्र 58–क में वर्णित प्रस्तावित संशोधन 1 सप्ताह के भीतर अपील के मीमो में यथास्थान समाविष्ट करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 14.12.2020 को पेश हो।

अपर जिला जज,

न्यायालय सं० 3, मथुरा।